

शासकीय पत्र सं०-1/शा०/14/2019
लखनऊ दिनांक 24 सितम्बर, 2019

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।

कृपया शासनादेश सं०-1394/33-3-2019-212/2017 दिनांक 02.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं०-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-21-मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू०-2500.00 लाख (रू० पच्चीस करोड़ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू०-2500.00 लाख शत-प्रतिशत निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है-

1. आवंटित की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी, जिन मदों के लिये इसकी स्वीकृति दी जा रही है।
2. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. आवंटित की जा रही धनराशि की पुनरावृत्ति/दुरावृत्ति न हो।
4. प्रशासनिक मद में न्यूनतम धनराशि का ही व्यय किया जायेगा।
5. प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. आवंटित की जा रही धनराशि किसी भी दशा में आहरित कर पी०एल०ए०/बैंक खाते में जमा नहीं की जायेगी।
7. धनराशि कोषागार से तभी आहरित की जायेगी, जब उसके व्यय की तात्कालिक आवश्यकता हो।
8. उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं०-14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-21-मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत डाला जायेगा।
9. वर्ष 2019-20 में यदि कोई समर्पण हो, तो उसकी सूचना दिनांक 20.02.2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं०-55 पर अंकित है।

उक्त योजनान्तर्गत संबंधित शासनादेश सं०-81/2017/33-3-2017-212/2017 दिनांक 20.09.2017 एवं शासनादेश सं०-585/33-3-2019-212/2017टी०सी० दिनांक 08.03.2019 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-70 /दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



(डा ब्रह्म देव राम तिवारी)
निदेशक,
पंचायतीराज उ0प्र0।

सं0-1/शा0/14/1/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6. उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
7. एस0पी0एम0यू0 पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-24/09/2019

प्रेषण संख्या:- 1-sha-14-2019-1-138-2019
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-138-2019
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेतर-मतदेय)
101 - पंचायती राज
21 - मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

(धनराशि रु. में)


S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	250000000 250000000	250000000 250000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	250000000 250000000	250000000 250000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया पच्चीस करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पच्चीस करोड़

6


(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी